2017/00036

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 11/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंण्ट
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी		1. जगराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोई ढढु तहसील फलोदी जिला जोधपुर (बेचानकर्ता) 2. श्रीमती साऊ पत्नी रतनाराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोई चक ढढु तहसील फलोदी जिला जोधपुर (खरीदकर्ता) 3. सरपंच ग्राम पचांयत ढढु

अपील अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट 1956
विरूद्ध ग्राम विश्नोई चक के नामांतरकरण संख्या 07 दिनांक 20.02.2010 को ग्राम पंचायत ढढु द्वारा पारित किया गया।

अधिवक्तागण :–

1. अपीलांट स्वयं उपस्थित
2. रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता रेवन्तसिंह पातावत एवं करणीसिंह राठौड़ उपस्थित
3. रेस्पोडेटस संख्या 1 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक : 30/1/20

अपीलांट की अपील का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 26 बीघा में से गणपतराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोई चक (ढढु) अपने 1/3 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 06.01.2010 को प्रतिफल रूपये 67600/– में किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढढु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के हत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08. 1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 06.01.2010 के आधार पर ग्राम विश्नोई चक का नामांतरकरण संख्या 07 ग्राम पंचायत ढढु द्वारा दिनाक 20.02.2010 को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजुद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान कर कानूनी भूल की है भू. अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामातरकरंण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता रेवन्तसिंह पातावत एवं करणीसिंह राठौड ने अपना वकालातनामा पेश किया। पत्रावली बहस में रखी गई।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, फलोदी

Scanned by CamScanner

अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568/1 रकबा 26 बीघा में से गणपतराम पुत्र खेराजराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोई चक (ढढु) अपने 1/3 हिस्सा की सम्पूर्ण भूमि का बेचान दिनांक 06.01.2010 को प्रतिफल रूपये 67600/— में किया तथा दस्तावेज के अनुसार प्रतिफल लेना व मौके पर कब्जा देना स्वीकार किया है। ग्राम ढढु के सेटलमेंट के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा को न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के हत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। बेचान दिनांक 06.01.2010 के आधार पर ग्राम विश्नोई चक का नामांतरकरण संख्या 07 ग्राम पंचायत ढढु द्वारा दिनाक 20.02.2010 को खरीददार के नाम से स्वीकृत कर दिया। बेचानकर्ता व खरीददार को जानकारी के बावजुद भी कि यह भूमि कुर्क है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के पास कब्जा है भूमि का बेचान कर कानूनी भूल की है भू.अ. नियमों के अनुसार भूमि का भौतिक रूप से तथा वैधानिक रूप से कब्जा हस्तांतरण होने पर ही नामातरकरंण स्वीकृत होता है जबकि इस नामांतरकरण की कार्यवाही में ऐसा नहीं हुआ है। अतः यह नामांतरकरण खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार फलोदी ने गलत अपील पेश की है मौके पर रेस्पोडेंटस का ही कब्जा चला आ रहा है तथा रेस्पोडेंटस संख्या 1 ने अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग करते हुवे उक्त भूमि को रेस्पोडेंटस संख्या 2 को बेचान किया है इसलिये बेचान दस्तावेजात के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 2 के हक में भरा गया नामांतरकरण विधि सम्वत है। रेस्पोडेंटस संख्या 2 सद्भाविक क्रेता है। अपील अपीलांट गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नामांतरकरण संख्या 07, विक्रय पत्र, कुर्की आदेश एंव कब्जा प्राप्ति फर्द इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम ढढु के खसरा नम्बर 568 रकबा 57.19 बीघा भूमि न्यायालय उपखण्ड दण्डनायक फलोदी द्वारा धारा 145 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण सख्या 05/1998 दिनांक 20.08.1998 के तहत कुर्क की जाकर थानाधिकारी फलोदी को रिसीवर नियुक्त किया गया तथा थानाधिकारी फलोदी ने दिनांक 22.08.1998 को इस भूमि का कब्जा प्राप्त किया। जो दस्तावेजात् से साबित है तथा उक्त कुर्की आदेश आज दिन तक बहाल है जिसकी जानकारी रेस्पोडेटस को होने के बावजुद उनके द्वारा दिनांक 20.10.2010 को बेचान किया गया इसलिये रेस्पोडेटस संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 को किया गया बेचान मात्र कागजी बेचान है जिसमें भूमि का वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा का हस्तांतरण नही किया है। उक्त बेचान विधि सम्वत नहीं होने से उक्त बेचान के आधार पर भरा गया नामांतरकरण सख्या 07 विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः ग्राम विश्नोई चक पटवार क्षेत्र ढढु तहसील के खसरा नम्बर 568 रकबा 26 बीघा में रेस्पोडेटस संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेटस संख्या 2 के हक में किये गये बेचान दिनांक 20.10.2010 के आधार पर रेस्पोडेंटस संख्या 2 के हक में भरा गया नामांतरकरण संख्या 07 मौजा विश्नोई चक को खारिज किया जाता है। तहसीलदार फलोदी माफिक आदेश पालना करावे। पत्रावली फैसल सुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30/1/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
फलोदी

उपखण्ड अधिकारी, फलोदी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.02.11 12:26:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: